2563

Ansal Properties & Infrastructure Ltd.

D-41, Kausambi (Ghaziabad)

No.: API/2007-08/221

27.03.2008

The Sr. Vice President & Co. Secretary
Ansal Properties & Infrastructure Ltd.
New Delhi

Sir,

Please find enclosed herewith Original Sale Deed of HT Dadri Project. The details of Sale Deed are as under :-

1)	Sale Deed No.	:	251/2725
2)	Date of Execution	:	07.03.2008
3)	Cost of Land	:	61,60,000/-
4)	Stamp Paper Used	:	4,93,000/-
5)	No. of Pages	:	36
6)	Name of Sellers/POA Holder	:	Smt. Sunita Devi W/oShyam Singh & Madan Pal S/o Sh. Sant Ram Village; Nithaili Pargana ;Loni ,Tahsil& Distt.: Gaziabad
7)	Name of Purchaser	:	Sh. Krishan Kumar S/o Sh.Om Prakash R/o. Village : Tugal Pur Tehsil & Distt.: Gautam Budh Nagar
8)	Area	:	0.6154 Hect.

Kindly acknowledge receipt.

Thanking you

Yours Truely

27/03/08

(G.R. Tyagi)
DGM (Land)

Recd
31.3.08

Encl.: As above

CC : Executive Director, Business Development for information

I 2725 (2563) (251)

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000

MAR 2008

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

004198

On Identification of Witness Attested

N. C. SHARMA, NOTARY
NOIDA
DISTT. G. B. NAGAR

1

On Identification of Witnesses Attested

N. C. SHARMA, NOTARY
NOIDA
DISTT. G. B. NAGAR

विक्रय-पत्र

बैनामा अंकन 61,60,000/- रूपये।
स्टाम्प अंकन 4,93,000/- रूपये।

सुनीता देवी

कृष्णकुमार

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

— 7 MAR 2008

स्टाम्प नं0 78 रु0 15 ...
स्टाम्प नं0 .... में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

कृष्ण कुमार पुत्र ओमप्रकाश
R/o जुगलपुर

बनामा 61,60000/- फीस रजि0 5000
उजरत 20 योग 5020/- शब्द लगभग 600
श्री सुनीता देवी
पुत्र श्री [illegible] सिंह पेशा गृहकार्य
निवासी [illegible] पट्टी [illegible] गाजियाबाद
ने कार्यालय सब रजिस्ट्रार दादरी जिला
गौतम बुद्ध नगर में आज दिनाँक 7/3/08
समय मध्य ...... व ...... बजे प्रस्तुत किया।

सब रजिस्ट्रार दादरी

सुनीता देवी 7/3/08

इस लेखपत्र का संपादन एवं इसमें लिखे
प्रतिफल मु0 61,60000/- रुपया [illegible]
जरायों से
नगद और समझ पाकर उक्त श्री श्रीमती सुनीता देवी [illegible]
[illegible] सिंह पुत्र श्री [illegible] R/o
[illegible] गाजियाबाद [illegible]
श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश R/o जुगलपुर
[illegible] ने स्वीकार किया।

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 INDIA Rs.15000

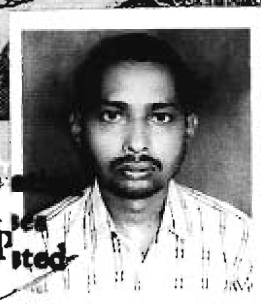

On Identification of Witnesses Attested

MAR 2008

उत्तर प्रदेश UTTAR P

NOTARY

NOIDA

DISTT. G. B. NAGAR

004199

2

विवरण विक्रय सम्पत्तिः- कृषि भूमिधरी के चक संख्या 12 के खेत नं0 51मि0 रकबा 0-0-6 पुख्ता व खेत नं0 15मि0 रकबा 0-2-5 पुख्ता व खेत नं0 17मि0 रकबा 2-6-0 पुख्ता व खेत नं0 18मि0 रकबा 0-0-2 पुख्ता इस प्रकार कुल चार खेत रकबई 2-8-13 पुख्ता सम्पूर्ण भूमि को बैनामा हाजा में बेचा गया है स्थित ग्राम चमरावली रामगढ़, परगना व तहसील दादरी, जिला- गौतमबुद्धनगर।

कृष्ण कुमार

सुनीता देवी

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

-7 MAR 2008

स्टाम्प नं0 79 रू0 15 ...
स्टाम्प नं0 78 में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

जिनकी पहचान श्री धरेओम
पुत्र श्री ओमप्रकाश पेशा खेती
निवासी कुलीपुर तहसील दादरी
व श्री नानकसिंह
पुत्र श्री शिवचरणसिंह पेशा खेती
निवासी गांव दादरी
ने की

सब रजिस्ट्रार दादरी
7.3.08

सुनीता देवी

कृष्ण कुमार

धरेओम

नानकसिंह

साक्षी भल भांति जानते हैं
अंगुठा नियमानुसार लिये गये।

उप निबन्धक
दादरी, गौतम बुद्ध नगर

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

MAR 2008

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

004200

3

विक्रेता एवम् क्रेता दोनों अनुसूचित जाति एवं जनजाति से है।

सुनीता देवी

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

-7 MAR 2008

स्टाम्प नं0 ...80... रू0 ...15/-...............
स्टाम्प नं0 ...78......... में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

MAR 2008

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

004201

4

विक्रीत भूमि ग्राम समाज पट्टे व भूदान पट्टे आदि की नहीं है। संक्रमणीय भूमिधरी दर्ज है।

सुनीता देवी

कृष्ण कुमार

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

–7 MAR 2008

स्टाम्प सं0.........रू0.........नाम...............
स्टाम्प नं0.........में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

MAR 2008 उप-कोषाधिकारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

004202

5

विक्रीत भूमिधरी भूमि जिसका सर्किल रेट 35,00,000/- रूपये प्रति हैक्टेयर का है। किन्तु क्रेता द्वारा सर्किल रेट का दोगुना करके तथा उससे भी अधिक पर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

सुनीता देवी

कृष्ण कुमार

कार्यालय उप कोषागार

-7 MAR 2008

स्टाम्प नं0 82 1500 ....

स्टाम्प नं0 ....78...... शामिल किया गया

उप रोकड़िया

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

MAR 2008

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

004203

विक्रीत भूमि किसी जी0टी0रोड, राज्य रोड अथवा लिंक रोड पर स्थित नहीं है

सुनीता देवी

कृष्ण कुमार

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

—7 MAR 2008

स्टाम्प नं० ..8..... रु०....15 मार्च.............
स्टाम्प नं० ..78.........में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

MAR 2008

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

004204

7

विक्रीत भूमि की बाबत क्रेता व विक्रेता दोनों पक्षों के मध्य पूर्व में कोई इकरारनामा माहदा वय पंजीकृत नहीं हुआ है।

सुनीता देवी

कृष्ण कुमार

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

-7 MAR 2008

स्टाम्प नं. 84 ....नाम.............
स्टाम्प मं0..98........म शामिल किया गया
उप रोकड़िया

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

004205

8

हम कि श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री श्याम सिंह व मदनपाल सिंह पुत्र श्री सन्तराम जाति जाटव निवासीगण ग्राम निठौरा, परगना लोनी, तहसील व जिला- गाजियाबाद (विक्रेतागण, फरीक अव्वल)।

एवम्

कृष्ण कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति कोरी, निवासी ग्राम तुगलपुर, तहसील व जिला- गौतमबुद्धनगर (उत्तर प्रदेश) (क्रेता फरीक दोयम)।

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

-7 MAR 2008

स्टाम्प नं0..........तारीख..............
स्टाम्प नं0..........में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

MAR 2008

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

004206

9

विदित हो कि कृषि भूमिधरी के चक संख्या 12 के खेत नं0 51मि0 रकबा 0-0-6 पुख्ता व खेत नं0 15मि0 रकबा 0-2-5 पुख्ता व खेत नं0 17मि0 रकबा 2-6-0 पुख्ता व खेत नं0 18मि0 रकबा 0-0-2 पुख्ता इस प्रकार

सुनीता देवी

कृष्ण कुमार

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

-7 MAR 2008

स्टाम्प प० 06 ....फार्म............
स्टाम्प नं० ....78.........मे शामिल किया गया
उप रोकड़िया

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.
INDIA NON JUDICIAL
पन्द्रह हजार रुपये
RUPEES FIFTEEN THOUSAND
सत्यमेव जयते
Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000
MAR 2008
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

004207

10

कुल चार खेत रकबई 2-8-13 पुख्ता सम्पूर्ण भूमि को बैनामा हाजा में बेचा गया है स्थित ग्राम चमरावली

सुनीता देवी

कृष्ण कुमार

कोषालय - उप कोषागार
काछवी

-7 MAR 2008

स्टाम्प नं0...87 15...............
स्टाम्प नं0....98........में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

MAR 2008

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

004208

11

रामगढ़, परगना व तहसील दादरी, जिला- गौतमबुद्धनगर, जिसका फरीक अव्वल एकमात्र मालिक व संक्रमणीय

सुनीता देवी

कृष्ण कुमार

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

7 MAR 2008

स्टाम्प नं० ...88... रु० ...15... नाम ....
स्टाम्प नं० ....78....... में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 004209

भूमिधर स्वामी है। जोकि आज दिन तक फरीक अव्वल की ओर से हर प्रकार के भार, बंधक आदि से पाक साफ

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

-7 MAR 2008

स्टाम्प नं0 ...89...सं0...15...नाम..............
स्टाम्प नं0 ....28........में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

MAR 2008

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

004210

13

व सुरक्षित है। यानि कि किसी भी स्थान पर आड़, रहन, बय, हिबै, माहदाबय, जमानत आदि से ग्रस्त नहीं है तथा

सुनीता देवी

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

—7 MAR 2008

स्टाम्प नं0 ...90...
स्टाम्प मं0 ...28... में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

MAR 2008

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

004211

14

उपरोक्त भूमि की बाबत किसी भी न्यायालय में कोई वाद विवाद विचाराधीन नहीं है तथा फरीक अव्वल के

सुनीता देवी

अरुण कुमार

कार्यालय उप कोषागार
छावरी

-7 MAR 2008

स्टाम्प न0 ...91... ....
स्टाम्प न0 ...28...... में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

MAR 2008

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

004212

15

अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति हकदार या हिस्सेदार नहीं है। कोई कारण बाधा का उपरोक्त भूमिधरी भूमि को विक्रय

सुनीता देवी

कृष्ण कुमार

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

-7 MAR 2008

स्टाम्प नं0 ...92... रू0 ...1500...
स्टाम्प नं0 ...28... में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

004213

16

करने में नहीं आता है। अतः फरीक अव्वल ने अपनी समस्त शुद्ध बुद्धि व स्थिर चित्त की दशा में खूब सोच

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

-7 MAR 2008

स्टाम्प नं0 ...93...रु0 ..151...नाम..............
स्टाम्प नं0 ....78.........में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

004214

17

समझ कर बिना किसी दबाव व बहकाव के उक्त भूमि को सर्व अधिकार सहित आज की बजारू कीमत के बदले

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

-7 MAR 2008

टोकन नं० 94 .... 15-3-08 ....
स्टाम्प नं० .... 28 .... में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

MAR 2008

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

004215

18

अंकन रूपये 61,60,000/- (इकसठ लाख साठ हजार रूपये मात्र) जिसके आधे अंकन रूपये 30,80,000/-होते

सुनीता देवी Singh अरुण कुमार

कार्यालय उप कोषागार
[illegible]

-7 MAR 2008

स्टाम्प नं0 ...95... रू0 ...10...
स्टाम्प नं0 ...78... में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

MAR 2008

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 004216

19

है में इसी समय से हाथ उपरोक्त फरीक दोयम को बेच दी तथा कतई वय कर दी तथा समस्त विक्रीतधन अर्थात

सुनीता देवी

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

-7 MAR 2008

स्टाम्प नं0 ....96.... रु0 ....100....मिम..............
स्थम्प नं0 ......28........में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

MAR 2008

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

004217

20

भूमि की कुल कीमत निम्नलिखित अनुसार प्राप्त करके बेची भूमि को कब्जे अधिकार अपने से फरीक दोयम में

कार्यालय उप कोषागार
दातागंज

-7 MAR 2008

स्टाम्प सं० 97 15 नाम

स्टाम्प सं० 78 में शामिल किया गया

उप रोकड़िया

दातागंज जिला

उत्तर

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

MAR 2008

उप-कोषाधिकारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

004218

21

देकर उस पर फरीक दोयम को अपने ही समान मालिकाना मालिक काबिज व दखिल कर दिया है। अब

सुनीता देवी

कृष्ण कुमार

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

—7 MAR 2008

स्टाम्प नं0 ....98.....15...............
स्टाम्प नं0 ....78.....में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

दादरी जिला

उत्त

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

MAR 2008

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

004219

22

बैय किये पश्चात विक्रीत भूमि के किसी भी अंश से फरीक अव्वल व वारिसान फरीक अव्वल का कोई वास्ता

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

—7 MAR 2008

स्टाम्प नं0 ....99.... रु0 ....1500....
स्टाम्प नं0 ....28.... में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

MAR 2008

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   004220

23

या ताल्लुक किसी भी किस्म का शेष नहीं रहा है तथा ना ही भविष्य में होगा। कब्जा मौके पर फरीक दोयम को

सुनीता देवी

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

-7 MAR 2008

स्टाम्प सं0 ..1108... सं0 ...15 तारीख.............
स्टाम्प सं0 ....78......में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

MAR 2008

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

004221

24

बहैसियत मालिक पूर्ण रूप से करा दिया है। अब आज की तारीख से ही फरीक दोयम को सर्वथा हक व

सुनीता देवी

अरुण कुमार

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

-7 MAR 2008

स्टाम्प नं0 ...131... रू0 ...15...
स्टाम्प नं0 ...78... में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

004222

25

अधिकार होगा कि वह खरीदकर्ता कृषि भूमिधरी को जिस प्रकार चाहे प्रयोग मालिकाना अपने में लाकर चाहे जिस

सुनीता देवी

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

—7 MAR 2008

स्टाम्प नं0 ..182500.... 1500............
स्टाम्प नं0 .....20......में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

MAR 2008

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 004223

26

प्रकार से मालिकाना लाभ उठावें। यदि विक्रीत भूमि का कोई अंश किसी भी नुक्श कानूनी कमी आदि के कारण

सुनीता देवी Singh कृष्ण कुमार

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

-7 MAR 2008

स्टाम्प नं0 ...143... रू0 ...25 हजार...
स्टाम्प नं0 ...28... में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

004224

27

से कब्जे मालिकाना क्रेता फरीक दोयम से निकल जावेगा या कब्जा फरीक दोयम को न मिले या फरीक अव्वल

सुनीता देवी Singh कृष्ण कुमार

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

–7 MAR 2008

स्टाम्प नं0 ...124... रू0 ...15...मि...............
स्टाम्प नं0 ....78........ में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

दादरी जिला...
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

004225

28

मालिकाना मालिक हस्ताक्षरकर्ता सिद्ध न हुआ या अन्य किसी कारण से कब्जे मालिकाना फरीक दोयम से कुल या

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

-7 MAR 2008

स्टाम्प नं0 ...105... लं0 ...15...

स्टाम्प नं0 ...28... में शामिल किया गया

उप रोकड़िया

दादरी जिला

उत्तर

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

MAR 2008

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 004226

29

आंशिक रूप से निकल जावेगी तो हर ऐसी दशा में फरीक दोयम को हक होगा कि वह उस समय की बजारू कीमत

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

-7 MAR 2008

स्टाम्प नं0 ...10*... रु0 ...15*...
स्टाम्प नं0 ...78... से वापस किया गया
उप रोकड़िया

MAR 2008

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

004227

30

को जिस प्रकार चाहे बजरिये अदालत फरीक अव्वल व वारसान फरीक अव्वल की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से

सुनीता देवी

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

-7 MAR 2008

स्टाम्प नं0 ...107...... 15000 ....
स्टाम्प नं0 ......78.......में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

MAR 2008
उप - कोषाधिकारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

004228

31

वसूल कर लें तो कोई ऐतराज नहीं होगा। दाखिल खारिज बेची भूमिधरी का बनाम फरीक दोयम के करा दूँगा या

सुनीता देवी

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

-7 MAR 2008

स्टाम्प नं0 .... रू0 ....

स्टाम्प नं0 ......78...... में शामिल किया गया

उप रोकड़िया

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

004229

32

फरीक दोयम इस विक्रय पत्र के आधार पर सरकारी अभिलेखों में अपना नाम स्वयं दर्ज करा लें तो कोई

सुनीता देवी

कृष्ण कुमार

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

-7 MAR 2008

स्टाम्प नं0 [illegible] रू0 150 नाम ....
स्टाम्प नं0 ..28.......... में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs 10000 दस हजार रुपये

10000 रु. Rs 10000 RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

10000 रु. Rs.10000

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

0JAA 471078

ऐतराज नहीं होगा। विक्रीत भूमि कृषि भूमि है तथा आस-पास भी कृषि भूमि है।

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

7 MAR 2008

स्टाम्प नं0 ...11... रू0 ...10...

स्टाम्प नं0 .... में शामिल किया गया

उप रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 223537

विवरण धन अदायगी :- अंकन 61,60,000/- रूपये पेशगी फरीक अव्वल (विक्रेता) ने फरीक दोयम (क्रेता) से प्राप्त कर लिये। अब कोई पैसा विक्रेता का क्रेता की ओर बाकी नहीं रहा है।

क्रम सं० 39 ——— स्टाम्प बिक्री की तिथि 7/3/08

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन [illegible]

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता [illegible]

स्टाम्प की धनराशि 1000/-

अशोक कुमार स्टाम्प विक्रेता

ला० नं० 9– अवधि 31–3–2008

[illegible] कम्पाउण्ड [illegible] (हो० मु० [illegible])

बिक्री सीमा 15000/-

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH D 223538

उपरोक्त लिखित दस्तावेज फरीक अव्वल व फरीक दोयम की जानकारी के आधार पर तैयार की गयी। दस्तावेज पर चस्पा फोटो गवाहों के कथन पर सत्यापित है।

40 9/3/08

क्रम सं० 38 स्टाम्प विक्रय की तिथि

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता

स्टाम्प की धनराशि 1000/-

अशोक कुमार स्टाम्प विक्रेता

ला० नं० 9- अवधि 31-3-2008

तहसील कम्पाउण्ड सदरी (उ०प्र०) बदायूं

सीमा 15000/-

उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 223539

36

अतः यह विक्रय पत्र कताई लिख दिया कि प्रमाण रहे और वक्त पर काम आवे। इति।।

गवाह - 1

गवाह - 2

तारीख 07-03-2008 ई0 मसौदाकर्ता **राधेश्याम अग्रवाल,** बैनामा लेखक, दादरी (गौतमबुद्धनगर) **लाइसेन्स नं0-1** राधेश्याम अग्रवाल

बैनामा लेखक ला.नं.-1

तहसील-दादरी (गौतमबुद्धनगर)

7/3/08

[illegible] 39

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन [illegible]

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता [illegible]

स्टाम्प की धनराशि 1000

अशोक कुमार स्टाम्प विक्रेता

ला० नं० 9- अवधि 31-3-2008

तहसील कम्पाउन्ड दादरी (गौ० बु० नगर)

विक्रय सीमा 15000/-

36

आज दिनांक 7/3/2008 को फोटोस्टेट

प्रति पुस्तक संख्या 1 खण्ड संख्या 1105

के पृष्ठ 287 पर क्रम संख्या 2726

358

पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

उप निबन्धक

दादरी